(93)

संख्या–24/XVIII-(2)/E/2013–13(9)/2007

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनःदिनांक 10 जनवरी, 2013

विषयः– राज्य में शीतलहरी के प्रकोप से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने तथा निशुल्क कम्बल वितरण हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जाडे का मौसम आरम्भ होने के फलस्वरूप शीतलहरी के प्रकोप से गृहविहीन/निराश्रित/असहाय व्यक्तियों के बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने तथा निशुल्क कम्बल वितरण कराये जाने हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹ 46.00 लाख (₹ छियालीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने व व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– निराश्रितों को सम्भावित शीतलहरी के प्रकोप से बचाने हेतु आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि अलाव जलाने का चयन ऐसे स्थानों पर किया जाए जहां अधिक से अधिक निर्धन एवं असहाय लोग, जनता खुले आसमान के नीचे निवास करते हो या एकत्र होते हों, उदाहरणार्थ धर्मशालायें, रैन बसेरा, मुसाफिर खाना, पड़ाव सराय, चौराहा, रेल/बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थान। साथ ही निशुल्क कम्बल बॉटने की व्यवस्था भी की जाए एवं इस हेतु कम्बल नियमानुसार क्रय किये जाए और उसमें गांधी आश्रम आदि संस्थाओं को वरीयता दी जाय।

3– शीतलहरी के प्रभाव से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना एवं उसके सम्बन्ध में दी गई राहत सहायता आदि के विवरण तुरन्त ही रेडियोग्राम, तार अथवा फैक्स द्वारा शासन को उपलब्ध कराये जाए।

4– यह भी देखा गया है कि समाचार पत्रों में शीतलहरी से मृत्यु की सूचना यदाकदा प्रकाशित होती है ऐसी सूचना के तथ्यों की जांच कर जानकारी तुरन्त की जाय और यदि तथ्य निराधार पाये जाय तो उनका खण्डन समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराया जाय। शीतलहरी से उत्पन्न होने वाले प्रकोप से बचाव संबन्धी अपनाये गये उपायों व किये गये राहत कार्यों की जानकारी समय–समय पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित व प्रकाशित भी करायी जाय।

कृपया:–2

5– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13' के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05–राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.सं.–138 NP/वि.अनु.–5/2012, दिनांक 10 जनवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि:

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या–24(1)/XVIII-(2)/F/2013–13(9)/2007 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
4– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशलालय उत्तराखण्ड।
11– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
12– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

कार्य:–3

शासनादेश संख्या–24/XVIII-(2)/F/2013–13(9)/2007, दिनांक 10 जनवरी, 2013 का संलग्नक

क्र0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)
1	चम्पावत	2.00
2	बागेश्वर	2.00
3	रूद्रप्रयाग	2.00
4	देहरादून	4.00
5	अल्मोड़ा	4.00
6	हरिद्वार	4.00
7	उत्तरकाशी	4.00
8	चमोली	4.00
9	नैनीताल	4.00
10	पिथौरागढ़	4.00
11	ऊधमसिंहनगर	4.00
12	टिहरी गढ़वाल	4.00
13	पौड़ी गढ़वाल	4.00
	कुल योग	46.00

(₹ छियालीस लाख मात्र)

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव